बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०–ल०सिं०मो०–सहायक/क०अभि०–312/2019–20– 1289 (मो०) */पटना, दिनांक–* 25-06-2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०,
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

ई० विन्देश्वर राम,
मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

विषयः–**योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**आपका पत्रांक–2544, दिनांक–26.09.2019**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत निविदित 762 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा योजनाओं की सूची प्राक्कलित राशि सहित उपलब्ध करायी गयी थी तथा यह उल्लेख किया गया था कि सभी योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया है।

आपके द्वारा दी गयी सूची एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। बाद में पाया गया कि जिन योजनाओं का BOQ, e-proc site पर Upload किया गया है तथा निविदा निष्पादन पश्चात् जिसका क्रियान्वयन हो रहा है उनमें बहुत सी योजनाओं का नाम त्रुटिपूर्ण है एवं तकनीकी अनुमोदित राशि सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति से कम अथवा ज्यादा है। प्रशासनिक स्वीकृत योजनाओं तथा e-proc site पर Upload की गयी योजनाओं की सूची संलग्न की जा रही है।

उक्त के आलोक में सम्बन्धित अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय कि "वगैर स्थल जांच किये किस परिस्थिति में प्राक्कलन तैयार किया गया।

सम्बन्धित अभियन्ताओं के स्पष्टीकरण के साथ अपना स्पष्टीकरण भी दें कि बिना स्थल जांच कराये, बनाये गये प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन किस परिस्थिति में दिया गया?

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/06/2020

(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\YOJNA KA TAKNIKI-C.E. PATNA.-11-06-2020.DOCX